

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया
पत्रांक 1771/ 2-6 देवरिया, दिनांक, जनवरी 24 / 2024
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर ।

विषय :- जनपद-देवरिया में सोनौली-बलिया मार्ग एस0एच0-1, कि0मी0 153-154 के मध्य ग्राम-अहिलवार बुजुर्ग, तहसील-सदर जनपद-देवरिया में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ :- आपके कार्यालय का पत्र संख्या-1756/2-6 दिनांक 19.01.2024 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-1807/ 11-सी/ एफ0पी0/यू0पी0/अन्य 16134/2015 ।


महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा उक्त विषयक पेट्रोल पम्प में लगाई गयी आपत्तियों का निराकरण कर आख्या आपकी सेवा में सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क0 सं0	आपत्ति	उत्तरालेख
1	ऑनलाईन-पार्ट-2 के क्रमांक 4 में हरियाली घनत्व 0.04 अंकित है, जबकि एन0पी0वी0 गणना में 0.4 अंकित है। अतः सही हरियाली घनत्व 0.4 ऑनलाईन पार्ट-2 में फीड करें तथा हिन्दी भाग-2 में सही हरियाली घनत्व अंकित कर ऑनलाईन अपलोड करें ।	ऑनलाईन-पार्ट-2 के क्रमांक 4 में हरियाली घनत्व 0.4 अंकित कर ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है।
2	भारत सरकार की आपत्ति निराकरण के क्रम में संलग्न दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना त्रुटिपूर्ण है। अतः सही गणना कर ऑनलाईन अपलोड करें तथा Additional Information Detail से पूर्व की गयी त्रुटिपूर्ण गणना को डिलिट करें ?	दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संशोधित कर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है। Additional Information Detail से पूर्व में की गयी त्रुटिपूर्ण गणना को डिलिट कर दिया गया है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(जगदीश आर)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

एन0पी0वी0 की गणना

जनपद-देवरिया में एस्सार ऑयल लिमिटेड (नयारा एनर्जी लिमिटेड) द्वारा सलेमपुर-देवरिया मार्ग (एस0एच0-1) ग्राम-अहिल्यापुर बुजुर्ग, तहसील-देवरिया की गाटा सं0-547, प्रस्तावित किये गये रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग से 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में ।

वन संरक्षण अधिनियम-1980 की धारा-2 के अन्तर्गत संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग हेतु एन0पी0वी0 की गणना :-

वन संरक्षण अधिनियम-1980 के उल्लंघन क्रम में भारत सरकार की पत्र संख्या-11-42/2017 /एफ0सी0 दिनांक 19.01.2018 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-एफ0एन0 5-3/2007 (एफ0सी0 डिविजन) दिनांक 05.02.2009 में संशोधित पत्र संख्या-एफ0एन0 5-3/2011, एफ0सी0 (Vol-I) दिनांक 06.01.2022 व दिनांक 19.01.2022 द्वारा निर्धारित एन0पी0वी0 रेट के अनुसार गणना :-

हरियाली घनत्व- 0.4, ईको-क्लास-III

एन0पी0वी0 की गणना :- क्षेत्रफल- 0.075028 हे0 X 1228590.00 प्रति हे0 = Rs. 92,178.65
या:- 92179.00

दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना 5 गुना :- = 92179x5= 4,60,895.00

(उल्लंघन की तिथि दिनांक 23.03.2018 से 23.03.2024 तक

छ: वर्ष तक वार्षिक व्याज 12 प्रतिशत = $\frac{460895 \times 6 \times 12}{100}$

= 3,31,844.40 या-3,31,844.00

कुल दण्डात्मक एन0पी0वी0 + व्याज

= 4,60,895.00+ 3,31,844.00=792739.00

कुल देय धनराशि

= 792739.00

R. J. J. J.

(जगदीश आर)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया